राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

आकाशि/पी एवं सी/नवाचार एवं कौशल/प्लेसमेंट/232 दिनांक 02/08/2023

राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट फेसिलिटी स्कीम

दिशा निर्देश–2023

1. परिचय :

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु संख्या 12.01.0 की अनुपालना में "प्रदेश के प्रमुख राजकीय महाविद्यालयों में **"Campus Placement Facility in Government Colleges Scheme"** लागू की गई है। योजना के प्रारम्भ होने से राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

वर्तमान में 596 राजकीय महाविद्यालयों में 5 लाख से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को डिग्री कोर्स के साथ–साथ गुणवत्ता और कौशल आधारित वोकेशनल पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराये जाने की योजना भी लागू की गई है ताकि स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के साथ–साथ विद्यार्थियों को रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध हो सके।

विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में कैंपस प्लेसमेंट की बहुत ही अहम भूमिका है इसके माध्यम से महाविद्यालयी शिक्षा के दौरान न केवल विद्यार्थियों को रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्रदान की जायेगी अपितु उन्हे रोजगार के विभिन्न अवसर भी उपलब्ध होंगे।

2. योजना का उद्देश्य :

2.1 इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी योग्यता, विशेषज्ञता, रूचि और कौशल के आधार पर रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध करवाना।

2.2 विद्यार्थियों को रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करना तथा उनके व्यक्तित्व, भाषा कौशल और आत्मविश्वास में अभिवृद्धि करना।

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.02 07:18:21 IST
Reason: Approved

2.3 महाविद्यालय में संचालित कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल को वित्तीय सहायता, आई. टी. उपकरण (यथा कम्प्यूटर, प्रोजक्टर, प्रिंटर) तथा नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर अधिक प्रभावी बनाना।

2.4 विशेषज्ञों द्वारा बूट कैम्प के माध्यम से विद्यार्थियों का कौशल संवर्द्धन कर वर्तमान समय की रोजगार मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाना।

2.5 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाना।

3. योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्य :–

3.1 बजट घोषणा के निष्पादन के लिए राजस्थान राज्य संकाय विकास अकादमी (Faculty Development Academy) नोडल संस्था होगी।

3.2 अकादमी के कार्यशील होने तक आयुक्तालय स्तर पर गठित पीएमयू (Project Management Unit) इस योजना को क्रियान्वित करेगी।

3.3 महाविद्यालयों में पूर्व में स्थापित कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल को अधिक प्रभावी (Strengthen) बनाना और नवीन स्थापित राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल की स्थापना करना।

3.4 कैंपस प्लेसमेंट हेतु आवश्यक तैयारी, कैम्प का आयोजन, संस्थाओं से समन्वय तथा नोडल अधिकारियों को कैंपस प्लेसमेंट हेतु आवश्यक प्रशिक्षण इत्यादि गतिविधियां सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से सम्पादित की जाएगी।

3.5 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 (RTPP Act 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 (RTPP Act 2013) के तहत सेवा प्रदाता एजेंसी की सेवाएं लेना।

3.6 सेवा प्रदात्ता एजेंसी द्वारा महाविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट फेयर का आयोजन करना।

3.7 सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल के मार्गदर्शन में उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर परामर्श सेल मॉड्यूल में सभी डेटा समय–समय पर अद्यतन करना।

3.8 विशेषज्ञ सरकारी संस्थानों जैसे– भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (IIRS), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (NRSC),राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (NCL) पुणे, राष्ट्रीय जैव विज्ञान केन्द्र बैंगलोर, बैंगलोर जीवन विज्ञान क्लस्टर, SEBI जैसे विशेषज्ञता रखने वाले संस्थानों के साथ समन्वय

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.02 07:18:21 IST
Reason: Approved

स्थापित कर विद्यार्थियों का कौशल संवर्द्धन करना ताकि कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से उनकी कौशल क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।

3.9 वर्ष 2023–24 में 100 राजकीय महाविद्यालयों में कैम्पस प्लेसमेंट योजना लागू।

4. <u>परियोजना प्रबंधन (PMU-Project Management Unit) द्वारा किये जाने वाले कार्यः–</u>

4.1 राज्य संकाय विकास अकादमी (FDA) के कार्यशील होने तक आयुक्तालय स्तर पर गठित PMU (Project Management Unit) इस योजना को क्रियान्वित करेगी।

4.2 परियोजना प्रबंधन (PMU) द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट व्यवस्था के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु सम्पूर्ण योजना की मॉनिटरिंग, क्रियान्वयन, समन्वय तथा समय–समय पर निर्देश जारी कर महाविद्यालयों का मार्ग दर्शन करना।

4.3 सेवा प्रदाता एजेंसियों को उनके निर्दिष्ट कार्यों के सुचारू संचालन हेतु वित्तीय प्रबंधन करना।

4.4 महाविद्यालयों की कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल, सेवा प्रदाता एजेंसी के मध्य सामंजस्य स्थापित करना ताकि अधिकतम विद्यार्थियों को प्लेसमेंट फेयर के माध्यम से रोजगार मिल सके।

4.5 आवश्यकतानुसार महाविद्यालय में जाकर कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल की गतिविधियों का निरीक्षण करना।

4.6 भारत सरकार के विशेषज्ञ संस्थानों एवं सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों के लिए कौशल कार्यशालाओं का आयोजन करवाना ताकि विद्यार्थियों का उचित कौशल संवर्द्धन होने के पश्चात कैंपस प्लेसमेंट संभव हो सके।

4.7 आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग के अंतर्गत PMU द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी की सेवाओं का उपापन RTPP Act 2012 एवं RTPP Act 2013 के तहत किया जाना।

4.8 आयुक्तालय स्तर पर PMU का गठन निम्नानुसार होगा–

Nodal Officer of the Placement & Career Counseling Cell at CCE GoR	Coordinator
Consultant	Member
Sector Skill Council Expert(s)	Member
Professor, College Education	Member
Programmer or higher rank official from DoIT&C	Member
Information Assistant (2)	For IT support

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.02 07:18:21 IST
Reason: Approved

5. <u>सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा किये जाने वाले कार्य</u> :—

5.1 राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

5.2 बारह कार्यदिवसों के लिए महाविद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रदान करना।

5.3 स्थानीय उद्योगों की रोजगार मांग के साथ—साथ महाविद्यालयों को सही तकनीक और मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि विद्यार्थी तदनुसार अपना बायोडेटा तैयार कर सके।

5.4 महाविद्यालय में नवम्बर एवं जनवरी माह में प्लेसमेंट फेयर आयोजित करना एवं संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।

5.5 कैंपस प्लेसमेंट के लिए आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों को ऑनलाइन परामर्श भी सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से दिया जाना।

5.6 कैंपस प्लेसमेंट के ऑनलाइन पोर्टल पर विद्यार्थियों के प्लेसमेंट से संबंधित डेटा, प्लेसमेंट फेयर में भाग लेने वाली कंपनियों एवं अन्य संबंधित जानकारी समय—समय पर अद्यतन किया जाना।

5.7 सेवा प्रदाता एजेंसी समय—समय पर विद्यार्थी हित में ऐसे सुझाव भी कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल को देगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से लाभान्वित हो सके।

5.8 सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्लेसमेंट से संबंधित की गई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट पीएमयू (PMU) को समय—समय पर कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल के माध्यम से प्रेषित करेगी।

5.9 सेवा प्रदाता एजेंसी महाविद्यालय के कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल के मार्गदर्शन में कार्य करेगी।

6. <u>कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन</u> :—

6.1 वर्तमान शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023—24 में 100 राजकीय महाविद्यालयों में यह योजना लागू होगी।

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.09.02 07:18:21 IST
Reason: Approved

6.2 वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान कम से कम दो बार नवम्बर एवं जनवरी माह में आवश्यक रूप से कैंपस प्लसेमेंट का आयोजन किया जावेगा तथा इसके अतिरिक्त भी आवश्यकता होने पर कैपस प्लेसमेंट का आयोजन करवाया जा सकेगा।

7. महाविद्यालय स्तर पर किये जाने वाले कार्य :–

7.1 महाविद्यालय स्तर पर कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल द्वारा योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन किया जायेगा तथा कैंपस प्लेसमेंट मे भाग लेने वाले सभी राजकीय महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों का पोर्टल एवं ऑनलाइन माध्यम (यथा गूगल फॉर्म इत्यादि) के द्वारा विद्यार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा।

7.2 उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(12) उच्च शिक्षा विभाग/ग्रुप–3/2023 दिनांक 07.07.2023 के क्रम में महाविद्यालयों में निम्नानुसार कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल का गठन किया जाएगा–

- कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल – संयोजक
- प्रभारी नवाचार प्रकोष्ठ – सदस्य
- संकाय सदस्य अंग्रेजी विषय – सदस्य
- प्राथमिकता के आधार पर तीनों संकाय यथा कला, विज्ञान, वाणिज्य से एक–एक सदस्य
- यदि किसी महाविद्यालय में तीन से कम संकाय संचालित है तो प्राचार्य कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल के संयोजक से चर्चा करके पदस्थापित तीन संकाय सदस्यों को समिति में मनोनीत कर सकते हैं।

7.3 कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल द्वारा महाविद्यालय में आयोजित होने वाले कैंपस प्लेसमेंट की सूचना सोशल मीडिया, नोटिस बोर्ड, समाचार पत्रों के माध्यम से सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाई जावे ताकि राजकीय महाविद्यालयों के सभी नियमित विद्यार्थी पंजीकरण करवाकर कैंपस प्लेसमेंट फेयर में भाग लेकर लाभान्वित हो सके।

7.4 कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन करवाया जाएगा जिसमें अधिक से अधिक कंपनियों को आमंत्रित किया

Signature valid
Digitally signed by Sudhir Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.09.02 07:18:21 IST
Reason: Approved

जाएगा ताकि पंजीकृत सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेकर लाभान्वित हो सके।

7.5 महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट के लिए इच्छुक सभी विद्यार्थियों से योजना के पोर्टल अथवा Online यथा Google Form आदि के माध्यम से सूचना संकलित की जाएगी। प्राथमिकता से स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के विद्यार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा।

7.6 सूचना संकलन हेतु पोर्टल अथवा Online माध्यम का लिंक महाविद्यालयों को प्रेषित किया जाएगा तथा प्राप्त विद्यार्थियों की सूचना कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसियों के साथ साझा की जायेगी।

7.7 कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल, सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से प्लेसमेंट हेतु पंजीकृत विद्यार्थियों के बायोडेटा तैयार करेंगे।

7.8 सेवा प्रदाता एजेंसी प्लेसमेंट पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए कम्यूनिकेशन, सॉफ्ट स्किल एवं पर्सनेलिटी डेवलपमेंट से संबंधित 12 कार्य दिवस की कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

7.9 कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल के द्वारा मॉक इंटरव्यू का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, अभिरूचि एवं उनकी कौशल क्षमता का विकास हो।

7.10 कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल, सेवा प्रदाता एंजेंसी के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता और समय की मांग के अनुसार विद्यार्थियों को वोकेशनल कोर्स तथा रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी देकर उनका मार्गदर्शन करेगी ताकि विद्यार्थियों को अपने कैरियर निर्माण में सहायता मिले।

7.11 कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से लाभान्वित विद्यार्थियों की संपूर्ण जानकारी – जैसे :–

I. किस कंपनी में चयन हुआ
II. किस पद पर हुआ
III. कितने मासिक वेतन पर हुआ
IV. कितने समय के लिए हुआ
V. विद्यार्थी का कंपनी द्वारा प्रदत्त ऑफर लेटर

आदि सूचनाएं कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल द्वारा यथोचित प्रकार से संकलित की जाएं तथा यह सूचनाएं आयुक्तालय के नवाचार प्रकोष्ठ को भी प्रेषित की जाए। उक्त

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.02 07:18:21 IST
Reason: Approved

सूचनाएं संबंधित महाविद्यालयों के रिकॉर्ड का हिस्सा होंगी तथा उनका समुचित संधारण अनिवार्य होगा।

7.12 PMU द्वारा नामित भारत सरकार के संस्थानों एवं सेक्टर स्किल काउंसिल के विशेषज्ञों के द्वारा 1–2 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं महाविद्यालय सुनिश्चित करेगा।

8. योजनान्तर्गत वित्तीय प्रावधान :–

8.1 आयक्तालय स्तर पर गठित PMU के अन्तर्गत RTPP नियमानुसार सेवा प्रदाता के उपापन हेतु अधिकतम राशि रू. 5 करोड़ का व्यय किया जा सकेगा।

8.2 महाविद्यालयों के कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल, दो लाख रूपये तक के आईटी उपकरण यथा कम्प्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर आदि आरटीपीपी नियम 2013 के अनुसार क्रय कर सकेंगे।

8.3 विद्यार्थियों को महाविद्यालय में भारत सरकार के संस्थानों में एवं सैक्टर स्किल काउंसिल के विशेषज्ञों द्वारा 1–2 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन विशेषज्ञों के टी ए/डी ए का भुगतान संबंधित संगठन (भारत सरकार के विशेषज्ञ संस्थानों से एवं सैक्टर स्किल काउंसिल) के नियमों के अनुसार उन्हें देय होगा। इस हेतु प्रति महाविद्यालय अधिकतम राशि एक लाख तक का व्यय अनुमत होगा।

8.4 कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रचार सामग्री, स्टेशनरी, जलपान आदि संबंधित व्यय के लिए प्रति महाविद्यालय अधिकतम राशि रूपये एक लाख का व्यय किया जा सकेगा।

9. विद्यार्थियों से अपेक्षित कार्य :–

9.1 राजकीय महाविद्यालयों के सभी नियमित विद्यार्थी प्लेसमेंट फेयर में भाग लेने के पात्र होंगे।

9.2 प्लेसमेंट फेयर में भाग लेने के लिए कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।

9.3 प्लेसमेंट फेयर में सहभागिता के दौरान विद्यार्थियों के पास महाविद्यालय का परिचय पत्र होना आवश्यक है।

9.4 प्रदेश के किसी भी राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित पंजीकृत विद्यार्थी किसी भी राजकीय महाविद्यालय (अनुलग्नक–A) द्वारा आयोजित कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं।

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.02 07:18:21 IST
Reason: Approved

10. <u>कैंपस प्लेसमेंट फेयर में भाग लेने वाली कंपनियों/संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्य</u> :—

10.1 सेवा प्रदाता एजेंसी सभी कंपनियों और संगठनों को महाविद्यालयों में प्लेसमेंट फेयर हेतु आमंत्रित करेंगी तथा प्लेसमेंट फेयर से पूर्व एजेंसी को जॉब ऑफर फॉर्म कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल में जमा कराना होगा, जिसमें ऑफर किए जा रहे जॉब की प्रोफाइल, विद्यार्थियों के लिए पारिश्रमिक पैकेज और पात्रता आवश्यकताओं का उल्लेख रहेगा।

10.2 कैंपस प्लेसमेंट फेयर के भाग लेने वाली कंपनियों को सेवा प्रदाता एजेंसीं द्वारा आमंत्रित किया जाएगा तथा महाविद्यालय की कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल को अवगत कराया जाएगा।

10.3 जॉब ऑफर फॉर्म में प्रदान की गई जानकारी में किसी भी बदलाव की अनुमति कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल द्वारा सहमति के बाद ही दी जाएगी।

10.4 प्लेसमेंट प्रक्रिया से पूर्व कंपनियों की मांग पर विद्यार्थियों की जानकारी/बायोडेटा कंपनियों को कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल के माध्यम से प्रदान की जा सकेगी।

10.5 कंपनियों को प्लेसमेंट फेयर के हिस्से के रूप में प्री—प्लेसमेंट चर्चा (पीपीटी)/लिखित परीक्षा/ऑनलाइन टेस्ट/समूह चर्चा/व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करने की स्वतंत्रता होगी।

11. <u>भारत सरकार के संस्थानों एवं सैक्टर स्किल काउंसिल के विशेषज्ञों द्वारा किये जाने वाले कार्य</u> :—

11.1 आयुक्तालय स्तर पर गठित PMU द्वारा भारत सरकार के संस्थानों यथा संवेदन संस्थान (IIRS), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (NRSC), राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (NCL) पुणे, राष्ट्रीय जैव विज्ञान केन्द्र बैंगलोर, बैंगलोर जीवन विज्ञान क्लस्टर, SEBI एवं सैक्टर स्किल काउंसिल के विशेषज्ञों को महाविद्यालय में 1—2 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया जाएगा।

11.2 विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट से पूर्व उनके कौशल का आंकलन एवं आवश्यकतानुसार कौशल संवर्द्धन के लिए तकनीकी ज्ञान एवं शॉर्ट टर्म कोर्सेस की जानकारी प्रदान करना।

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.02 07:18:21 IST
Reason: Approved

11.3 विद्यार्थियों की आवश्यकतानुरूप इस हेतु महाविद्यालयों में विशेषज्ञों द्वारा प्लेसमेंट फेयर से पूर्व 1–2 दिवसीय ऑफलाइन/ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन कैंपस प्लेसमेंट एवं कैरियर काउंसलिंग सैल करेगी।

12. कैंपस प्लेसमेंट योजना प्रथम चरण में 100 राजकीय महाविद्यालयों में प्रारम्भ की जायेगी, जहां जॉब फेयर आयोजित किये जाएंगे। जिसकी सूची अनुलग्नक - A पर संलग्न है।

13. कैंपस प्लेसमेंट योजना का क्रियान्वयन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

14. कैंपस प्लेसमेंट योजना में होने वाला व्यय बजट मद 2202-03-800-(07)-[01]-29 से प्रभार्य होगा।

15. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग बजट घोषणा कैंपस प्लेसमेंट–2023 के दिशा निर्देशों के प्रावधान का अंतिम प्राधिकारी होगा।

16. कैंपस प्लेसमेंट योजना को वित्त (व्यय–1) विभाग की आईडी संख्या 152301258 दिनांक 30.06.2023 द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

(सुनील शर्मा)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

आकाशि/पी एवं सी/नवाचार एवं कौशल/प्लेसमेंट/233-38 दिनांक : 02/08/2023

सूचनार्थ प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
11. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
12. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
13. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु
14. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.02 07:18:21 IST
Reason: Approved

अनुलग्नक - A

100 राजकीय महाविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	जिला	महाविद्यालय का नाम	स्थान
1.	अजमेर (6)	राजकीय कन्या महाविद्यालय	अजमेर
2.		सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय	अजमेर
3.		सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय	ब्यावर
4.		राजकीय महाविद्यालय	केकड़ी
5.		श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	किशनगढ
6.		श्री गोविन्दसिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय	नसीराबाद
7.	अलवर (9)	गौरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय	अलवर
8.		राजकीय महाविद्यालय	गोविन्दगढ
9.		राजऋषि राजकीय महाविद्यालय	अलवर
10.		बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय	अलवर
11.		धर्मचन्द गांधी जैन राजकीय महाविद्यालय	बहरोड़
12.		राजकीय महाविद्यालय	बीबीरानी
13.		राजकीय महाविद्यालय	थानागाजी
14.		राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय	अलवर
15.		राजकीय महाविद्यालय	राजगढ
16.	बांसवाड़ा (3)	श्री गोविन्दगुरू राजकीय महाविद्यालय	बांसवाडा
17.		स्व. मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय	कुशलगढ
18.		हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय	बांसवाडा
19.	बारां (2)	राजकीय कन्या महाविद्यालय	बारां
20.		राजकीय महाविद्यालय	बारां
21.	बाड़मेर (3)	राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	बाड़मेर
22.		मूल चन्द भगवान दास रंगवाला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	बालोतरा
23.		राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	बाडमेर
24.	भरतपुर (3)	महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	भरतपुर
25.		रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय	भरतपुर
26.		मास्टर आदित्येन्द्र जी राजकीय महाविद्यालय	डीग
27.	भीलवाडा (4)	सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय	भीलवाडा
28.		श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय	मांडलगढ
29.		श्री माणिक्य लाल वर्मा. राजकीय महाविद्यालय	भीलवाडा
30.		श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय	शाहपुरा
31.	बीकानेर (3)	राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय	बीकानेर
32.		मंगीलाल बागडी राजकीय महाविद्यालय	नोखा
33.		राजकीय डूंगर महाविद्यालय	बीकानेर
34.	बूंदी (2)	राजकीय कन्या महाविद्यालय	बूंदी
35.		राजकीय महाविद्यालय	बूंदी
36.	चित्तौडगढ (2)	महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	चित्तौडगढ
37.		डॉ भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	निम्बाहेडा
38.	चूरू (5)	सेठ मोहनलाल जालान राजकीय महाविद्यालय	रतनगढ
39.		माँ जालपा देवीराजकीय महाविद्यालय	तारानगर

40.		राजकीय लोहिया महाविद्यालय	चूरू
41.		सेठ बुधमल दूगड राजकीय महाविद्यालय	सरदारशहर
42.		ज्ञानीराम हरखचन्द सरावगी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	सुजानगढ
43.	दौसा (4)	श्री संतसुन्दरदास राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय	दौसा
44.		स्व. श्री राजेश पायलेट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	बांदीकुई
45.		स्व. पं. नवलकिशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	दौसा
46.		स्व. श्री राजेश पायलेट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	लालसोट
47.	धौलपुर (1)	राजकीय महाविद्यालय	धौलपुर
48.	डूंगरपुर (2)	वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय	डूंगरपुर
49.		एस.बी.पी. राजकीय महाविद्यालय	डूंगरपुर
50.	हनुमानगढ़ (2)	श्रीमती नर्मदा देवी बिहाणी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	नोहर
51.		राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय	हनुमानगढ़
52.	जयपुर (7)	पानादेवी मोरजीवाला राजकीय कन्या महाविद्यालय	कोटपूतली
53.		लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय	कोटपूतली
54.		राजकीय महाविद्यालय	जयपुर
55.		राजकीय कन्या महाविद्यालय	चौमूं
56.		बाबा नारायणदास राजकीय महाविद्यालय	चिमनपुरा
57.		सेठ आर.एल. सहरिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	कालाडेरा
58.		शाकम्भर राजकीय महाविद्यालय	सांभरलेक
59.	जैसलमेर (1)	सेठ संगीदास बालकिशन कोठारी राजकीय महाविद्यालय	जैसलमेर
60.	जालौर (2)	जी. के. गोवाणी राजकीय महाविद्यालय	भीनमाल
61.		वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	जालौर
62.	झालावाड (2)	राजकीय बिड़लामहाविद्यालय	भवानीमंडी
63.		राजकीय महाविद्यालय	झालावाड
64.	झुंझुनूं (3)	स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय	खेतडी
65.		राजकीय महाविद्यालय	नवलगढ
66.		श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय पी.जी. महाविद्यालय	झुंझुनू
67.	जोधपुर (3)	जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	फलौदी
68.		राजकीय महाविद्यालय	भोपालगढ
69.		राजकीय महाविद्यालय	जोधपुर
70.	करौली (2)	राजकीय महाविद्यालय	करौली
71.		राजकीय महाविद्यालय	हिण्डौनसिटी
72.	कोटा (5)	जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय	कोटा
73.		राजकीय कला कन्या महाविद्यालय	कोटा
74.		राजकीय कला महाविद्यालय	कोटा
75.		राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय	कोटा
76.		राजकीय विज्ञान महाविद्यालय	कोटा
77.	नागौर (3)	राजकीय महाविद्यालय	मेडतासिटी
78.		राजकीय बांगड महाविद्यालय	डीडवाना
79.		श्री बलदेवराम मिर्धा राजकीय महाविद्यालय	नागौर
80.	पाली (1)	राजकीय बांगड महाविद्यालय	पाली

81.	प्रतापगढ (1)	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	प्रतापगढ
82.	राजसमंद (2)	सेठ मथुरा दास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	नाथद्वारा
83.		सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	राजसमंद
84.	सवाईमाधोपुर (3)	राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	सवाईमाधोपुर
85.		राजकीय महाविद्यालय	गंगापुरसिटी
86.		शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय	सवाईमाधोपुर
87.	श्रीगंगानगर (3)	चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय	श्रीगंगानगर
88.		डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय	श्रीगंगानगर
89.		स्व. श्री गुरूशरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय	सूरतगढ
90.	सीकर (3)	सेठ नन्दकिशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय	नीमकाथाना
91.		सेठ आर.एन.रूईया राजकीय महाविद्यालय	रामगढ शेखावटी
92.		श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय	सीकर
93.	सिरोही (3)	सेठ मंगलचन्द चौधरी राजकीय महाविद्यालय	आबूरोड
94.		संघवी मातु श्री पूरीबाई भूरमल जैन राजकीय महाविद्यालय	शिवगंज
95.		राजकीय महाविद्यालय	सिरोही
96.	टोंक (3)	राजकीय महाविद्यालय	देवली
97.		राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	उनियारा
98.		राजकीय महाविद्यालय	टोंक
99.	उदयपुर (2)	राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय	उदयपुर
100.		हाडा रानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	सलूम्बर